संख्या-49/2021/1342907/12-2099/76/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2021

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षों हेतु बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नई व्यवस्था प्रारम्भ किया जाना।

महोदय,

प्रदेश की सतत् बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु, खाद्यान एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि किया जाना आवश्यक है। उत्पादकता की बढ़ोत्तरी में उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। गुणवत्तायुक्त बीज के प्रयोग से लगभग 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादकता में वृद्धि हेतु जायद/खरीफ एवं रबी की विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों को अधिकाधिक कृषकों को वितरित किया जाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।

2- विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम एवं बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों को अनुदान पर वितरित किए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बीज ग्राम योजना को छोड़कर शेष समस्त केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ के सामान्य बीज वितरण पर कृषकों को देय केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अथवा अधिकतम रूपये 2000/- प्रति कुंतल, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जा रहा है । बीज ग्राम योजनान्तर्गत धान एवं गेहूँ के वितरित बीज पर कृषकों को देय अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा अथवा धान में अधिकतम रूपये 1750/- प्रति कुंतल एवं गेहूँ में अधिकतम रूपये 1600/- प्रति कुंतल अथवा जो भी कम हो, उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

3- केन्द्र पोषित, एन0एम0ए0ई0टी0 (नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नालाजी) के अन्तर्गत बीज ग्राम योजना (सबमिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिंग मैटीरियल), 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश से संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कृषक स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन की तकनीकी को सुदृढ़ करना एवं उत्पादित बीज का संरक्षण

http://dhansarideshup.gov.in

करना मुख्य उद्देश्य है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 15 से 17 ग्रामों का चयन करते हुए, प्रत्येक ग्राम से 25 कृषकों का 0.4 हे0 प्रति कृषक के आधार पर चयन किया जाता है।

4- **<u>विशेष अनुदान की नई व्यवस्था का उद्देश्य:-</u>**

(क) कृषकों के माध्यम से उन्नतिशील प्रजातियों के बीजोत्पादन को प्रोत्साहित कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।

(ख) अनुदान पर विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रजातियो के बीज अधिकाधिक कृषकों को उपलब्ध कराना।

5- **<u>विशेष अनुदान की नई व्यवस्था में वित्तीय उपाशय:</u>**

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीज ग्राम योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात, धान के बीज पर रूपये 250/- प्रति कुंतल एवं गेहूँ के बीज पर रूपये 400/- प्रति कुंतल का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर, अनुमानित वित्तीय उपाशय निम्नवत निहित है:-

विषय	बीज वितरण का अनुमानित भौतिक लक्ष्य (कुन्तल)	प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान की अनुमानित धनराशि (लाख रूपये में)
1-बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों के माध्यम से बीज उत्पादन हेतु वितरित धान बीज पर रूपये 250/- प्रति कुंतल	9000	22.50
2-बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों के माध्यम से बीज उत्पादन हेतु वितरित गेहूँ बीज पर रूपये 400/- प्रति कुंतल	130000	520.00
कुल योग	139000	542.50

6- एक कृषक को अधिकतम 0.40 हे0 क्षेत्र हेतु प्रमाणित बीज वितरण पर विशेष अनुदान देय होगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को 'प्रथम आवक-प्रथम पावक' के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों को देय विशेष अनुदान, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से अन्तरित किया जायेगा।

7- वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान के बीज मूल्य पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की अधिकतम धनराशि रूपये 2000/- प्रति कुंतल दिये जाने के दृष्टिगत, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु, धान के बीज पर रूपये 250/- प्रति कुंतल एवं गेहूँ के बीज पर रूपये 400/- प्रति कुंतल का अतिरिक्त अनुदान तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	फसल/प्रजाति	केन्द्र सरकार द्वारा देय अनुदान	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान
1	धान	रूपये 1750/- प्रति कुंतल अथवा बीज मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत, जो भी कम हो	रूपये 250/- प्रति कुंतल
2	गेहूँ	रूपये 1600/- प्रति कुंतल अथवा बीज मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत, जो भी कम हो	रूपये 400/- प्रति कुंतल

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या- 49/2021/1342907(1)/12-2099/76/2021,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, कृषि विभाग, उ0प्र0,
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ,
3- समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
4- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0,
5- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in